डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

हरीमन पुत्र गोकुलराम जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादी

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम

– प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरार हक इन्द्राज दुरस्ती नाम

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट, 136 राज0ले0रे0एक्ट

मुकदमा नं0 दावा – 3/2018

तारीख रजू – 02.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी, स्वंय उपस्थित पक्ष प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम डिकि किया जाकर भूमि खसरा नं0 328, 329, 330, 341, 362, 557, 558, 2462, 2462/2813, 2462/2814, 2580 कुल किता 11 कुल रकवा 2.56 हेक्टयर, तथा खसरा नं0 340, 363, 524, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 2042, 2210, 2210/2812, 2211, 2396 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 हेक्टयर ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम मे दर्ज नाम हरिमोहन पुत्र गोकुल के स्थान पर हरीमन पुत्र गोकुलराम दर्ज किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.05.2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....[illegible] आर्य....

ओहदा ....उपजिला कलक्टर टोडाभीम....

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकि के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मु0नं0 दावा 3/2018

तारीख रजू 02.01.2018

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

हरीमन पुत्र गोकुलराम जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादी

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम

– प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरार हक इन्द्राज दुरस्ती नाम

अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट, 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति – श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष वादी

स्वंय उपस्थित – पक्ष प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक 03.05.2018

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प भजेडा मे पेश हुई। वादपत्र के संक्षेप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं0 328, 329, 330, 341, 362, 557, 558, 2462, 2462/2813, 2462/2814, 2580 कुल किता 11 कुल रकवा 2.56 हेक्टयर, तथा खसरा नं0 340, 363, 524, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 2042, 2210, 2210/2812, 2211, 2396 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 हेक्टयर ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम मे वादी का नाम हरिमोहन पुत्र गोकुल दर्ज है जबकि सही नाम हरीमन पुत्र गोकुल है। वादी के आधार कार्ड, सर्विस रेलवे रिकार्ड, विद्यालय के रिकार्ड, परिवार कार्ड आदि सभी दस्तावेज मे हरीमन दर्ज है जो सही नाम है। हरीमन, हरिमोहन एक ही व्यक्ति है, पटवारी हल्का ने नामान्तकरण खोलते समय सहवन से हरीमन के स्थान पर हरिमोहन दर्ज कर दिया है जिसका रिकार्ड जमाबंदी मे दुरस्त होना आवश्यक व न्यायसंगत है। सरकारी योजना का लाभ व बैंक आदि से लोन लेने पर कठिनाई होती है इसलिये वादी ने यह वादपत्र पेश किया है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इस्तकरार हक नाम दुरस्ती डिकि किया खसरा नं0 328, 329, 330, 341, 362, 557, 558, 2462, 2462/2813, 2462/2814, 2580 कुल किता 11 कुल रकवा 2.56 हेक्टयर, तथा खसरा नं0 340, 363, 524, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 2042, 2210, 2210/2812, 2211, 2396 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 हेक्टयर ग्राम मोहनपुरा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

तहसील टोडाभीम मे दर्ज नाम हरिमोहन के स्थान पर हरीमन दर्ज किया जावें तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे उपरोक्तानुसार अमल करें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी की तरफ से कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) टोडाभीम ने अपने पत्र दिनांक 30.04.2018 मे फर्द मौका व जाच रिपोर्ट पटवारी हल्का मोहनपुरा की प्रस्तुत की तथा रिपोर्ट के साथ मे दस्तावेजात, नकल जमाबंदी, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड, प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आयकर विभाग का प्रमाणपत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत धवान का प्रमाणपत्र, नामान्तकरण संख्या 842, 601 ग्राम मोहनपुरा प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने अपने वादपत्र मे तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का दावा डिकि किया जावे। मैने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व जाच रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया। जाच रिपोर्ट पटवारी ने लिखा है कि वादी को यह भूमि नामान्तकरण संख्या 842, 601 से अपने पिता से विरासत मे मिली है तथा मौके पर जाच की गई है तथा उसके दस्तावेजात, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड, प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आयकर विभाग का प्रमाणपत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत धवान का प्रमाणपत्र मे नाम हरीमन पुत्र गोकल है। विरासत के नामान्तकरण मे टेक्निकल मिस्टेक हुई है इनका सही नाम हरीमन पुत्र गोकुलराम है। प्रकरण नाम दुरस्ती का है। वादी का दावा डिकि योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत् इन्द्राज दुरस्ती नाम डिकि किया जाकर भूमि खसरा नं0 328, 329, 330, 341, 362, 557, 558, 2462, 2462/2813, 2462/2814, 2580 कुल किता 11 कुल रकवा 2.56 हेक्टयर, तथा खसरा नं0 340, 363, 524, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 2042, 2210, 2210/2812, 2211, 2396 कुल किता 14 कुल रकवा 2.99 हेक्टयर ग्राम मोहनपुरा तहसील टोडाभीम मे दर्ज नाम हरिमोहन पुत्र गोकुल के स्थान पर हरीमन पुत्र गोकुलराम दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जाता है कि वे रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे उपरोक्तानुसार अमल करें। पर्चा फाईनल डिकि जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प भजेडा सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

कार्यालय उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner